कोरोना महामारी के कारण

19/5/21 [illegible] पेश हुई। अग्रिम [illegible] अधिवक्ता द्वारा कार्य स्थगन किया गया [illegible] पत्रावली वास्ते आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07/6/21 को पेश हो।

डिक्लाईड आज

02/8/21 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी दीगर राजकीय कार्य में व्यस्त है। [illegible] दौरे पर हैलीपेड में है। नवानुसार कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 22/9/21 को पेश हो।

19/8/21 आज यह पत्रावली मूल दावा पत्रावली के साथ दस्तयाब होकर पेश हुई। अपीलार्थी वकील अपीलार्थी उप० आर्य अपील की मूल दावा पत्रावली आज मिल कर वकील की जरूरी है एवं स्थिति के इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रहा पाई अतः अग्रिम कार्यवाही इसी तरह से मिल कर निर्णय की जाती है एवं पूर्व के जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर से कमरे [illegible] सलंग मूल दावा रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2021.12.16 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर
19-8-21